

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या - 13/2023-24

तिथि	संशोधित आदेश	की गई कार्रवाई										
14/11/23	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन, शपथ पत्र, अंचलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान है :- - विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है। - विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) - ग्रहिता/क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न) - प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :- विवेक मिंज, पिता-स्व० जॉर्ज जय मंगल मिंज, जाति-उराँव, ग्राम-जवाहर नगर, मानगो, थाना-मानगो अंचल-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, को मूल्य - 14,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :- डेजी लकड़ा, पति-बासिल लकड़ा, जाति-उराँव, ग्राम-जवाहर नगर, मानगो, थाना-मानगो, अंचल-मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :- <table><tr><th>मौजा</th><th>वार्ड सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>अ०क्ष०स०, मानगो</td><td>09</td><td>701</td><td>3115 C/P</td><td>8.01डी०</td></tr></table> के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है। लेखापित 14/11/23 भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम, जमशेदपुर।	मौजा	वार्ड सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	अ०क्ष०स०, मानगो	09	701	3115 C/P	8.01डी०	
मौजा	वार्ड सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
अ०क्ष०स०, मानगो	09	701	3115 C/P	8.01डी०								